

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 194/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
आवास फाईनेशियर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 फ्लोर
साउथ एण्ड रकवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर,
पता:- फ्लेट नं. 403, प्लॉट नं. 06, निवास नगर, सीकर रोड, जयपुर।
एवं यूनिट नं. 403, तृतीय तल, ऑन प्लॉट नं. ए-6, स्कीम श्री निवास नगर, सीकर रोड, जयपुर।
2. श्रीमती ज्योति देवी शर्मा पत्नी श्री मदन लाल दाधीच,
पता:- फ्लेट नं. 403, प्लॉट नं. 06, निवास नगर, सीकर रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.
उपस्थित श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 17.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.02.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति यूनिट नं. 403, तृतीय तल, ऑन प्लॉट नं. ए-6, स्कीम श्री निवास नगर, सीकर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 676 वर्गफीट को बंधक रख कर कुल राशि 17,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.12.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 17,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए

290
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

संश्लेषित होने से नियमानुसार जमान वसूली के लिए बकाया जमान राशि एवं वास्तु कुल 18,94,905.00/- कायदे जमा कराने हेतु अपराधीगण को दिनांक 06.12.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अपराधीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अपराधीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया जमान राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का नैतिक कब्जा दिखाने वाले प्रमाण का प्रकथन है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में उक्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अपराधी श्री राजेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति युनिट नं. 403, सुदीप टाउन, ऑन प्लॉट नं. ए-8, स्क्रीन श्री निवास नगर, सीकर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 676 वर्गफीट का नैतिक कब्जा से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्रांतीय को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहायता कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं फायरिंग रिपोर्ट लिखवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दर्जिस्ट्रर दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलकत्ता) जयपुर